विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L0023312

श्री अरूण वैद, — आवेदक
110, शान्ति निकेतन कॉलोनी,
इन्दौर (म.प्र.)

विरूद्ध

कार्यपालन यंत्री (पूर्व शहर) संभाग,
मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
पोलोग्राउण्ड, इन्दौर (म.प्र.)

— अनावेदक

आदेश
(दिनांक 25.06.2013 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0183911 श्री अरूण वैद विरूद्ध कार्यपालन यंत्री में पारित आदेश दिनांक 20.06.2011 से असंतुष्ठ होकर यह अभ्यावेदन आवेदक/उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।

2. आवेदक/उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया जाएगा) के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि उसके तथा उसकी पत्नी के नाम से दो विद्युत कनेक्शन उसके परिसर में लगे हैं । दिसम्बर 2010 में अधिक राशि का बिल आने पर उसने इस बात की शिकायत की थी । दिनांक 18.01.11 को उसने मीटर की जांच कराने के लिए निर्धारित राशि जमा की थी । अनावेदक द्वारा नया मीटर लगाने पर उनकी खपत 2627 यूनिट प्रतिदिन आ रही थी । मीटर में त्रुटि मार्च 2010 से चल रही है, अतः उक्त त्रुटि को सुधारा जाकर बिल का समायोजन किया जाए ।

3. अनावेदकगण की ओर से उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में यह आपत्ति की गई थी कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 18.01.11 को आवेदन पत्र दिए जाने पर उसके मीटर का परीक्षण किया गया, रिपोर्ट दिनांक 27.01.11 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार मीटर 10.2 प्रतिशत तेज गति से चलता हुआ पाया गया है,

इस कारण दिसम्बर 2010 में अत्यधिक खपत आई है । नियमानुसार मीटर टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर 10.2 प्रतिशत की छूट उपभोक्ता को दी जा चुकी है ।

4. फोरम ने उपभोक्ता की शिकायत को स्वीकार करते हुए यह निर्णय दिया है कि दिनांक 28.10.10 के वाचन के बाद मीटर बदलने तक मीटर त्रुटिपूर्ण था, अतः विद्युत संयोग क्रमांक 69863 पर 1237 यूनिट प्रतिमाह या 41.22 यूनिट प्रतिदिन तथा विद्युत संयोग क्रमांक 80597 पर 732 यूनिट प्रतिमाह या 24.40 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से मीटर बदलने तक औसत विद्युत खपत बिल जारी किया जाए । इसी खपत के आधार पर विकास उपकर और विद्युत शुल्क लिया जावे और मीटर त्रुटिपूर्ण होने की अवधि में मीटर का किराया उपभोक्ता से न लिया जाए, पुनरीक्षित बिल 15 दिवस में जारी किया जाए । यह भी निर्देश दिया गया कि उपभोक्ता विद्युत संयोगों में नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण कर विद्युत भार में वृद्धि कराएं तथा वह चाहे तो दोनों विद्युत संयोगों के लिए एक मीटर लगाए ।

5. फोरम के उक्त आदेश के विरूद्ध उपभोक्ता ने यह प्रतिवेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि फोरम ने विद्युत ऊर्जा के उपयोग का जो औसत आधार निर्धारित किया है वह उचित नहीं है, अतः वह निरस्त किए जाने योग्य है ।

6. अनावेदक की ओर से उपभोक्ता के अभ्यावेदन का जवाब इस आधार पर दिया गया है कि उपभोक्ता के माह मई 2010 से जनवरी 2011 तक के विद्युत बिल माननीय फोरम के आदेश के अनुसार सुधार दिए गए हैं ।

7. उपभोक्ता/आवेदक का अभ्यावेदन दिनांक 18.07.12 के आदेश पत्र के अनुसार पहली बार सुनवाई में लिया गया, इसके बाद स्थगित दिनांक 29.08.12, 08.10.12, 14.12.12, 12.02.13 या आज तक उपभोक्ता उपस्थित नहीं हुआ है, अपने तर्क भी प्रस्तुत नहीं किए हैं । उपभोक्ता द्वारा केवल लिखित पत्र प्रेषित किए जाते हैं कि उसके अभ्यावेदन का शीघ्र निराकरण किया जावे, इसी तरह का पत्र उसने दिनांक 14.05.13 को भी प्रेषित किया है ।

8. फोरम के आदेश के पृष्ठ – 2 में फोरम को प्राप्त जानकारियों का विवरण दिया गया है, जिसके अनुसार उपभोक्ता ने मई 2010 से जनवरी 2011 तक के विद्युत देयकों में संशोधन चाहा था, परन्तु पृष्ठ – 4 में फोरम ने जो निर्णय दिया है उसमें फोरम ने विद्युत संयोग क्रमांक 69863 एवं 80597 को क्रमशः दिनांक 27.08.10 तथा 28.10.10 के वाचन के बाद मीटर बदलने तक उसे त्रुटिपूर्ण होना स्वीकार किया है तथा इसी अवधि में औसत के आधार पर विद्युत शुल्क वसूल किए जाने का आदेश दिया है, जबकि कार्यपालन यंत्री ने उपभोक्ता के अभ्यावेदन के संबंध में जो जवाब प्रस्तुत किया है उसके अनुसार फोरम के आदेश के अनुसरण में माह मई 2010 से जनवरी 2011 तक के विद्युत बिलों में सुधार कर दिया

है । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि वस्तुतः उपभोक्ता का मीटर कब से त्रुटिपूर्ण था तथा किस अवधि के लिए उसे त्रुटिपूर्ण मीटर के आधार पर लाभ दिया जाना चाहिए तथा औसत आधार किस तरह निकाला जाना चाहिए ।

9. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 की धारा 9.17 के प्रावधानों के अनुसार जिस अवधि में मीटर कार्यरत न रहा हो उस अवधि में विद्युत प्रभार की वसूली पूर्व 3 मीटर वाचन चक्रों के मासिक औसत के आधार पर की जाना चाहिए और यदि चेक मीटर लगा हो तो चेक मीटर से उपलब्ध रीडिंग के आधार पर उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिंग की जानी चाहिए । मीटर खराब हो तो उपरोक्त दर्शाएं आधारों पर ही बिलिंग की जानी चाहिए ।

10. इस मामले में उपभोक्ता ने 18.01.11 को मीटर के त्रुटिपूर्ण होने तथा उसकी जांच कराने का आवेदन दिया था । जनवरी 2011 में मीटर की जांच कराने पर मीटर 10.2 प्रतिशत तेज गति से चलता हुआ पाया गया था । विद्युत प्रदाय संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें मीटर तेज गति से या कम गति से चलना पाया जाने के आधार पर उपभोग की गई यूनिटों पर बिलिंग की जा सके, परन्तु मीटर की जांच कराने का अधिकार उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी दोनों को दिया गया है ।

11. विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 9.17 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि यदि मीटर खराब हो तथा चेक मीटर लगे हो तब 9.17 के प्रावधानों के अनुसार बिलिंग की जाना चाहिए, परन्तु इस मामले में मीटर की जांच कराई गई थी तथा उसे 10.2 प्रतिशत गति से तेज चलता हुआ पाया गया था, ऐसी स्थिति में हमारे सामने सुनिश्चित करने का आधार है कि मीटर किस गति से तेज चल रहा था । उपभोक्ता ने जनवरी, 2011 में मीटर की जांच कराने का आवेदन दिया था, अतः धारा 9.17 के प्रावधानों के अनुसार दिसम्बर 2010, नवम्बर 2010 तथा अक्टूबर 2010 को उपभोक्ता को जो विद्युत देयक दिया गया था उन्हें 10.2 प्रतिशत अधिक गति से मीटर चलने के कारण कुल यूनिट की खपत दर्ज होना पाया जाता है । अतः अक्टूबर 2010 से दिसम्बर 2010 तक उपभोक्ता के मीटर में जो कुल खपत दर्ज हुई थी उसे 10.2 प्रतिशत अधिक माना जाए तथा उक्त अवधि के यूनिटों में खपत को 10.2 प्रतिशत कम किया जाकर उपभोक्ता को संशोधित बिल दिया जाना चाहिए ।

12. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उपभोक्ता का अभ्यावेदन आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि उपभोक्ता फोरम के आदेश के अनुसरण में मई 2010 से जनवरी 2011 तक विद्युत बिलों में अनावेदक द्वारा किए गए सुधार से संतुष्ठ न हो तो अक्टूबर 2010 से जनवरी 2011 तक उपभोक्ता को प्रत्येक माह के मासिक खपत के आधार पर जो बिल दिया गया है उस मासिक खपत में 10.2 प्रतिशत की कमी की जाए और ऐसी कमी की जाकर उपभोक्ता को संशोधित बिल जारी किया जाए ।

उक्त अवधि के लिए उपभोक्ता से जो अतिरिक्त राशि ली गई है उसका समायोजन उपभोक्ता के आगे आने वाले बिलों में किया जावे । इसके अतिरिक्त उक्त अवधि के लिए उपभोक्ता से मीटर का किराया भी नहीं लिया जावे ।

13. तद्नुसार फोरम का प्रश्नगत आदेश अपास्त किया जाता है । उपभोक्ता के अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है ।

14. आदेश की प्रति के साथ फोरम की नस्ती वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल